HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4913/2022
CNR: RJHC020436772022 | URN: CRLMP / 8205U / 2022

Raghav Trading Company Through Its Proprietor Shri Suresh Kumar, R/o Plot No. 2 Tagore Nagar, Dcm, Near New Om Sweets, Ajmer Rad, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Baagvan Vivek Brothers Pvt. Ltd., 40 Radhika Vihar Jatauli Ghana, Bharatpur Through Its Director Vivek Agarwal S/o Shri Rajendra Prasad Agarwal R/o Raghunath Vastra Bhandar Opp. Nagar Nigam Mathuragate, Bharatpur (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishnu Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, P.P. with Ms. Neha Goyal

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/09/2026

याची की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2022, अपराध अंतर्गत धारा 420 एवं 406 भा.दं.सं. के संबंध में संस्थित कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है तथा अनुसंधान के दौरान संकलित सामग्री के आधार पर याची/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420 एवं 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है।

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची एवं परिवादी के मध्य पूर्व से व्यावसायिक संबंध रहे हैं तथा विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अयाची संख्या–2 द्वारा खराब माल उपलब्ध कराया गया था तथा याची उसके भुगतान के लिए भी तैयार है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि याची के विरुद्ध आरोपित अपराधों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2022 तथा उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि याची द्वारा जानबूझकर एवं पूर्व नियोजित रूप से उक्त कृत्य किया गया है। याची द्वारा संबंधित व्यक्ति को चेक प्रदान किया गया तथा तत्पश्चात स्वयं ही उसके भुगतान पर रोक लगवा दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा इस प्रकार के कृत्य वर्ष 2009 से लगातार किए जाते रहे हैं तथा उसके विरुद्ध पूर्व में भी अनेक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, जिनमें आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। याची की ओर से न तो भुगतान किया गया है और न ही संबंधित धनराशि अथवा माल वापस किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अनुसंधान किए जाने के उपरांत याची के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया गया है।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अनुसंधान के दौरान संकलित सामग्री का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि याची/अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व विद्यमान पाए गए हैं। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा सक्षम अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अथवा उनके साक्ष्यगत प्रभाव की सूक्ष्म समीक्षा करना इस न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा। आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों का विधि के अनुसार परीक्षण कर यह निर्धारित करना है कि अभियोजन अपना आरोप प्रमाणित कर पाता है अथवा नहीं।

केवल यह तथ्य कि पक्षकारों के मध्य व्यावसायिक अथवा लेन–देन संबंध विद्यमान थे, अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को इस स्तर पर समाप्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है, विशेषतः तब जबकि अनुसंधान के दौरान याची के विरुद्ध अपराध के प्रथमदृष्टया आवश्यक तत्व पाए गए हों और आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Haryana & Ors- Vs- Bhajan Lal & Ors-] AIR 1992 SC 604 के प्रकरण में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण किया गया। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में ऐसा कोई स्पष्ट एवं असाधारण आधार प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याची के विरुद्ध कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके आधार पर की गई कार्यवाही को जारी रखना न्यायहित के प्रतिकूल होगा।

वर्तमान स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप एवं अनुसंधान के दौरान संकलित सामग्री ऐसी प्रकृति की नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि याची के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही निराधार, दुर्भावनापूर्ण

अथवा विधि–विरुद्ध है। अतः इस न्यायालय को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं होता है।

परिणामतः धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका में कोई सार नहीं पाए जाने से इसे निरस्त किया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो उसका भी तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

संबंधित न्यायालय विधिनुसार प्रकरण की कार्यवाही आगे बढाएगा।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

62/MAHESH ADWANI